भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3529

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना की विशेषताएं

3529. श्री भर्तृहरि महताबः
श्री जुगल किशोरः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना (उन्नति) के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उक्त योजना के तहत संरचित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना का उत्तर-पूर्व क्षेत्र के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की जरूरतों को किस प्रकार पूरा करने का उद्देश्य है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): उन्नति स्कीम का उद्देश्य: औद्योगिक ईकोसिस्टम को सुदृढ़ करना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए नए निवेश को आकर्षित करना।

उन्नति स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

यह स्कीम अधिसूचना की तारीख अर्थात् 09.03.2024 से दस वर्ष और उसके बाद प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए 8 अतिरिक्त वर्षों के लिए प्रभावी है। स्कीम का कुल बजटीय परिव्यय 10,037 करोड़ रुपए है। कुल बजटीय परिव्यय को भाग-क और भाग-ख में बांटा गया है। स्कीम का भाग-क, जिसका परिव्यय 9737 करोड़ रुपए है, पात्र नई औद्योगिक इकाइयों और पर्याप्त विस्तार कर रही औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए है। स्कीम का भाग-ख, जिसका परिव्यय 300 करोड़ रुपए है, स्कीम के लिए कार्यान्वयन और संस्थागत व्यवस्था करने के लिए है। भाग-क के परिव्यय का 60 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों के लिए चिह्नित किया गया है, जबकि शेष राशि एफआईएफओ आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। औद्योगिक इकाइयों को दिनांक 31.03.2026 तक स्कीम के तहत पंजीकरण हेतु आवेदन करने की अनुमति होगी। एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक (2021-22) के आधार पर जिलों को दो जोन में वर्गीकृत किया गया है: जोन-ए (औद्योगिक रूप से उन्नत जिले) और जोन-बी (औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले)।

(ख): उन्नति के अंतर्गत प्रोत्साहन:

i. पूंजी निवेश प्रोत्साहन:- यह प्रोत्साहन नई और पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा इकाइयों के लिए है। जिन औद्योगिक इकाइयों में जीएसटी लागू है तथा जो जोन-ए के जिलों में स्थित हैं, वे पात्र निवेश के 30 प्रतिशत तक पूंजीगत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं जिसकी ऊपरी सीमा 5 करोड़ रुपए है। जबकि जिन औद्योगिक इकाइयों में जीएसटी लागू है तथा जोन-बी के जिलों में स्थित हैं, वे पात्र निवेश के 50 प्रतिशत तक पूंजीगत

प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं जिसकी अधिकतम सीमा 7.5 करोड़ रुपए है। दूसरी ओर, जिन औद्योगिक इकाइयों में जीएसटी लागू नहीं है और जो जोन-ए के जिलों में स्थित हैं, वे पात्र निवेश के 30 प्रतिशत तक पूंजीगत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं जिसकी अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार, जिन औद्योगिक इकाइयों में जीएसटी लागू नहीं है और जो जोन-बी के जिलों में स्थित हैं, वे पात्र निवेश के 50 प्रतिशत तक पूंजीगत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं जिसकी अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए है।

ii. **केंद्रीय पूंजीगत ब्याज सहायता प्रोत्साहन:-** यह प्रोत्साहन भी नई तथा पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा इकाइयों के लिए है। जोन-ए के जिलों में स्थित औद्योगिक इकाइयां 7 वर्ष तक 250 करोड़ रुपए की मूल राशि तक के आवधिक ऋण पर 3 प्रतिशत की ब्याज सहायता प्राप्त कर सकती हैं। जबकि जोन-बी के जिलों में स्थित औद्योगिक इकाइयां 7 वर्ष तक 250 करोड़ रुपए की मूल राशि तक के आवधिक ऋण पर 5 प्रतिशत की ब्याज सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

iii. **विनिर्माण और सेवा संबद्ध प्रोत्साहन (एमएसएलआई):-** यह प्रोत्साहन केवल नई इकाइयों के लिए है तथा यह जीएसटी के निवल भुगतान के बराबर है। यह अधिकतम 10 वर्ष के लिए प्राप्त किया जा सकता है। जोन-ए में स्थिति औद्योगिक इकाइयों के लिए इस प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा निवेश के पात्र मूल्य का 75 प्रतिशत है तथा जोन-बी में स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए अधिकतम सीमा निवेश के पात्र मूल्य का 100 प्रतिशत है।

(ग) : पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों को जोन-ए और जोन-बी में बांटा गया है, जिसमें से जोन-बी में औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिले शामिल हैं। जोन-बी में स्थित औद्योगिक इकाइयों को पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीआईआई), केंद्रीय पूंजीगत ब्याज सहायता प्रोत्साहन (सीसीआईएसआई), तथा विनिर्माण और सेवा संबद्ध प्रोत्साहन (एमएसएलआई) जैसे प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं, जो जोन ए से अधिक है।

*****